

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(232)वित्त-1(1)आ.व्यय/2014/
संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान।

जयपुर, दिनांक: 06/11/15

(स्वीकृति संख्या- 391 /2015-16)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 165(4)ले.ब. /परावि/2015-16/7315 दिनांक 05.11.2015 (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 25/2015-16) के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 1970.00 लाख (अक्षरे राशि रु उन्नीस करोड़ सत्तर लाख मात्र) निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे।

--:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

मांग संख्या-41

मांग संख्या-41	(राशि लाख रु. में)
2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	
196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	
(01)-तदर्थ सहायता [01] संस्थापन (आयोजना भिन्न)	
92-सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (सारणी-'अ' के अनुसार)	20.00
197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	
(01)-तदर्थ सहायता [01] संस्थापन (आयोजना भिन्न)	
92-सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (सारणी-'ब' के अनुसार)	1950.00
कुल योग	1970.00

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

W. S. Singh
(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बूंदी एवं जैसलमेर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

W. S. Singh
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 165(4)ले.ब./परावि/2015-16/ 7315 जयपुर, दिनांक 05.11.2015
(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 25/2015-16)

जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु संलग्न सारणीनुसार जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में राशि रूपये 1970.00/- लाख (अक्षरे राशि रु उन्नीस करोड़ सत्तर लाख मात्र) के हस्तान्तरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-

(राशि लाख रु. में)

मांग सं. 41

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196- जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(01)- तदर्थ सहायता [01] संस्थापन (आयोजना भिन्न)

92- सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (सारणी 'अ' के अनुसार)

20.00

197- ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता

(01)- तदर्थ सहायता [01] संस्थापन (आयोजना भिन्न)


92- सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (सारणी 'ब' के अनुसार)

1950.00

कुल योग

1970.00


यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331500612 दिनांक 26.08.2015 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। आवंटित राशि से अधिक का व्यय नहीं किया जावे तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।


(आनंद कुमार)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, वित्त (आय-व्ययक) विभाग, को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणीनुसार राशि रु. 1970.00 लाख संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में हस्तान्तरण के राज्यादेश जारी कराने का श्रम करावे।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-5) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी एवं जैसलमेर/विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबंधित को भेजकर निर्देशित किया है कि आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित करें। इस आवंटन में नवसृजित पदों हेतु बजट आवंटन सम्मिलित नहीं है।
6. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/भुगतान/रक्षित पत्रावली
7. प्रोगामर (मु0) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(के.आर. मीना)
वित्तीय सलाहकार

SECOND ALLOTMENT 2015-16

DEMAND NO. 41

2515-OTHER RURAL DEV.PROGRAMME

196-GRANT-IN-AID TO ZILA PARISHAD/ DISTRICT LEVEL PANCHAYATS

(01) TADARTH SAHAYATA, [01] ESTABLISHMENT

92-GRANT-IN-AID (SALARY) NON PLAN


For the year 2015-16

(Rs. in Lacs)

Sr. No.	Name of the Zila Parishad	SALARY 92.सहायतार्थ अनुदान (संवैतन)
1	BUNDI	10.00
2	JAISALMER	10.00
TOTAL- Annex. 'A'		20.00


TREASURY WISE TOTAL (BUDGET HEAD 2515-196-(01)-[01]- 92 N.P.
ALLOTMENT FOR 2015-16

Sr. No.	NAME OF THE TREASURY	SALARY 92.सहायतार्थ अनुदान (संवैतन)
1	BUNDI	10.00
2	JAISALMER	10.00
TOTAL- Annex. 'A'		20.00



वित्तीय सलाहकार
पंचायती राज विभाग
राजस्थान, जयपुर

TREASURY WISE TOTAL (BUDGET HEAD 2515-197-(01)-[01]- 92 N.P.
ALLOTMENT FOR 2015-16 (Rs. In Lacs)

Sr. No.	NAME OF THE TREASURY	SALARY 92.सहायतार्थ अनुदान (संवैतन)
1	AJMER	45.00
2	BARAN	80.00
3	BADMER	80.00
4	BHILWARA	165.00
5	BUNDI	105.00
6	PRATAPGARH	20.00
7	CHURU	20.00
8	DUNGARPUR	200.00
9	JAIPUR(RURAL)	75.00
10	JALORE	120.00
11	JHALAWAR	25.00
12	JODHPUR (RURAL)	80.00
13	NAGORE	340.00
14	PALI	150.00
15	RAJSAMAND	50.00
16	S.MADHOPUR	75.00
17	KAROLI	120.00
18	TONK	85.00
19	UDAIPUR (CITY)	35.00
20	UDAIPUR (RURAL)	80.00
	TOTAL- Annex. 'B'	1950.00


 वितीय सहायकार
 पंचायती राज विभाग
 रायपुर, भद्रपुर

	JHALAWAR	
22	DUG	25.00
	TOTAL	25.00
	JODHPUR	
23	BALESHAR	45.00
24	SHERGARH	35.00
	TOTAL :-	80.00
	NAGORE	
25	DEGANA	35.00
26	JAYAL	55.00
27	MAKARANA	35.00
28	MUNDAVA	35.00
29	NAGORE	35.00
30	PARVATSAR	50.00
31	RIAN	80.00
32	NAWAN	15.00
	TOTAL :-	340.00
	PALI	
33	PALI	45.00
34	RAIPUR	40.00
35	RANISTATION	20.00
36	SOJAT	25.00
37	SUMERPUR	20.00
	TOTAL :-	150.00
	RAJSAMAND	
38	KHAMNOR	20.00
39	RAILMAGARA	30.00
	TOTAL :-	50.00
	SAWAIMADHOPUR	
40	BAMANWAS	25.00
41	GANGAPUR	50.00
	TOTAL	75.00
	KAROLI	
42	KAROLI	70.00
43	SAPOTARA	50.00
	TOTAL :-	120.00
	TONK	
44	NIVAI	60.00
45	TODARAISINGH	25.00
	TOTAL :-	85.00
	UDAIPUR (CITY)	
46	GIRVA	35.00
	UDAIPUR (RURAL)	
47	KHERWARA	35.00
48	LASADIA	20.00
49	SARADA	25.00
	TOTAL	80.00
	GRAND TOTAL Annex. 'B'	1950.00


 वितीय सहायक
 पंचायती राज विभाग
 राजस्थान, जयपुर

DEMAND NO. 41

2515-OTHER RURAL DEV.PROGRAMME

197-GRANT-IN-AID TO BLOCK PANCHAYATS/ MEDIUM LEVEL PANCHAYATS


(01) TADARTH SAHAYATA, [01] ESTABLISHMENT

92-GRANT-IN-AID (SALARY) NON PLAN

For the year 2015-16

(Rs. In Lacs)

S.N.	Name of the Panchayat Samities	Salary 92. सहायतार्थ अनुदान (संवैतन)
	AJMER	
1	BHINAI	
	TOTAL :-	45.00
	BARAN	
2	CHHIPABAROD	
3	SHAHBAD	55.00
	TOTAL :-	25.00
	BARMER	
4	SINDHARI	
	TOTAL :-	80.00
	BHILWARA	
5	BANEDA	
6	JAHAJPUR	35.00
7	MANDAL	30.00
8	RAIPUR	50.00
9	SAHADA	30.00
	TOTAL :-	20.00
	BUNDI	
		165.00
10	KESHORAIPTAN	
11	TALERA	55.00
	TOTAL :-	50.00
	PRATAPGARH	
		105.00
12	PIPALKHOONT	
	TOTAL :-	20.00
	CHURU	
		20.00
13	SUJANGARH	
	TOTAL :-	20.00
	DUNGARPUR	
		20.00
14	AASPUR	
15	BICHHIWARA	50.00
16	DUNGARPUR	50.00
17	SAGAWARA	40.00
	TOTAL :-	60.00
	JAIPUR (RURAL)	
		200.00
18	JAMUVARAMGARH	
	TOTAL :-	75.00
	JALORE	
		75.00
19	AAHORE	
20	JASWANTPURA	40.00
21	SANCHORE	30.00
	TOTAL :-	50.00
		120.00


 वितीय सलाहकार
 पंचायती राज विभाग
 राजस्थान, जयपुर